



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक:

दिनांक जनवरी, 2012

प्रभारी जनसम्पर्क अधिकारी

कृपया आगरा महायोजना-2021 के अन्तर्गत अवैध रूप से स्थापित मोबाइल टावरों को तोड़ने/हटाने हेतु अल्पकालीन ऑफर की सूचना दिनांक 04.01.2012 के राष्ट्रीय समाचार पत्रों के द्वारा दी गयी थी। इच्छुक एवं अनुभवी फर्मों के द्वारा उक्त कार्य हेतु नियत तिथि 20.01.2012 अपराह्न 3:00 बजे तक कोई भी अल्पकालीन ऑफर नहीं दिये गये है।

अतः कार्य की महत्ता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए सचिव महोदय के आदेश दिनांक 20.01.2012 के अनुसार दिनांक 15.02.2012 अपराह्न 3:00 बजे तक अल्पकालीन ऑफर राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक— अवैध रूप से स्थापित/हटाये
जाने वाले मोबाइल टावरों की सूची।

अधिशाली अभियन्ता-4

प्रतिलिपि:— सचिव महोदय को सूचनार्थ।

अधिशाली अभियन्ता-4

हटाये जाने वाले मोबाइल टावरों की सूची

क्र.सं.	मोबाइल कम्पनी का नाम	लोकेशन
1.	इण्डुस	4 / 5 पचकुईयां ।
2.	इण्डुस	भोगीपुरा ।
3.	भारतीय इन्फ्राटेक लिमिटेड	विजय किशोर खण्डेलवाल 419ए पचकुईयां ।
4.	बी.एस.एन.एल.	35 / 220, हफीज मार्केट, लोहामण्डी ।
5.	बी.एस.एन.एल.	संजय पैलेस ।